

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2855
जिसका उत्तर 17 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है।
26 अग्रहायण, 1947 (शक)

आधार संबंधी ब्यौरे की चोरी

2855. श्री खलीलुर रहमान:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को सरकार की ही वेबसाइटों से नागरिकों के आधार संबंधी ब्यौरे चोरी होने की जानकारी है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी चोरी की कितनी घटनाएं हुई हैं और इसका वैयक्तिक गोपनीयता पर क्या प्रभाव पड़ा है; और
- (ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि नागरिकों के आधार में दर्ज डेटा की आगे कोई चोरी न हो?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है जिसमें लगभग 134 करोड़ लाइव आधार धारक हैं। इसने 16,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन पूरे कर लिए हैं। आधार जारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पास आधार संख्या धारकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रतिउपाय किए गए हैं।

- इसने अपने डेटाबेस की सुरक्षा के लिए रक्षा-गहन अवधारणा के साथ बहु-स्तरीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को लागू किया है और अपनी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए इसकी लगातार समीक्षा/ऑडिट करता है।
- यह ट्रांसमिशन और स्टोरेज के दौरान डेटा की सुरक्षा के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है।
- यूआईडीएआई की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली एसटीक्यूसी द्वारा आईएसओ 27001:2022-प्रमाणित है। यूआईडीएआई को आईएसओ/आईईसी 27701:2019 (गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली) भी प्रमाणित है।
- इसके अलावा, यूआईडीएआई को एक संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित किया गया है और इसलिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार सुरक्षा सलाह प्रदान करता है।

आधार इकोसिस्टम के लिए शासन, जोखिम और अनुपालन और प्रदर्शन (जीआरसीपी) ढांचे के निर्माण और उसके पालन के लिए निगरानी हेतु एक स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी को लगाया गया है।

यह लगातार यूआईडीएआई एप्लिकेशन का साइबर सुरक्षा ऑडिट करती है, जिसमें स्टेटिक एप्लिकेशन सिम्प्योरिटी टेस्टिंग (एसएसटी) और डायनेमिक एप्लिकेशन सिम्प्योरिटी टेस्टिंग (डीएसटी) शामिल हैं।

आज तक, यूआईडीएआई डेटाबेस से आधार कार्ड धारकों के डेटा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
